राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (जी–22) आकाशि / अनु / 09 / 772 दिनांक 15/9/09

आदेश

सत्र 2009–10 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय / विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	जी 22	सचिव, श्री क्षेत्र सिद्धान्त तीर्थ संस्थान, नन्दनवन धरियावाद जिला प्रतापगढ़ (राज0)	समन्तभद्र कन्या महाविद्यालय, हिंगवन–धरियावाद जिला प्रतापगढ़	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं जैन साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – एबीएसटी, ईएएफएम, व्यवसायिक प्रशासन बी.बी.ए., बी.सी.ए.

1. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
3. संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे ।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि–भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा ।

प्राचार्य
समन्तभद्र गर्ल्स पी.जी. कॉलेज
हिंगवन, धरियावद, जि.-प्रतापगढ़ (राज.)

प्राचार्य
समन्तभद्र गर्ल्स पी.जी. कॉलेज
हिंगवन, धरियावद, जि.-प्रतापगढ़

7. संस्था को 30 सितम्बर, 2009 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।

8. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कॉंसिल द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/ दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।

9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/ महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।

11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि मे ही आवेदन करना होगा ।

12. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

13. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।

14. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

15. सत्र 2009–10 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न होने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

15.08.09

संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्राचार्य
समन्तभद्र गर्ल्स पी.जी. कॉलेज
हिनवन, धरियावद, जि.-प्रतापगढ़(राज.)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (215)आकाशि/नि.सं./2009/277 दिनांक:-27.07.18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
श्री क्षेत्र सिद्धान्त तीर्थ संस्थान, नन्दनवन, धरियावाद, प्रतापगढ।	समन्तभद्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिमवन, धरियावाद, प्रतापगढ़।	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	नवीन विषय/संकाय स्नातक स्तर पर- कला संकाय- कम्प्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान। विज्ञान संकाय-गणित, कम्प्यूटर विज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.dce.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ।
4. कुल सचिव, कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक, नि0सं0
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्राचार्य
समन्तभद्र गर्ल्स पी.जी. कॉलेज
धरियावद-प्रतापगढ़(राज.)